न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः- चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 3603/2016 प्रार्थना पत्र

पृथ्वीराज पिता गोपीलाल नाई, आयु वयस्क, निवासी गादोला, तहसील निम्बाहेड़ा।

- प्रार्थी

//बनाम//

1- देवीलाल मुतबन्ना उदयलाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
2- श्यामा बाई पत्नी देवीलाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
3- शम्भुलाल पिता कन्हैयालाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
4- बापुलाल पिता हीरालाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
5- खेमराज पिता गोपाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
6- चांदमल पिता गोपाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
7- रतनलाल पिता रोडा गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
8- गोपाल पिता रोडजी गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
9- मदनलाल पिता रतनलाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
10-मुकेश पिता हीरालाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गादोला।
11- राजु उर्फ राजेश पिता मोहनलाल गाडरी, आयु वयस्क, निवासी केली।

- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.
श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित

निर्णय दिनांक 25.10.2017

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक दावा प्रस्तुत किया जिसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा गादोला की खाता संख्या 231 की आराजी नं. 1295 रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसके पडोस पूर्व में श्यामलाल, गोपाल पिता भाना लौहार का खेत, पश्चिम में चतरा गाडरी की जमीन, उत्तर में विपक्षी संख्या 1 की जमीन व दक्षिण में भुवानीराम रावत की जमीन स्थित है। यह भूमि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की होकर कब्जे काश्त में चली आ रही है। विपक्षीगण का इस भूमि से कोई सम्बन्ध, सरोकार नहीं है। विपक्षीगण षडयंत्र रचकर अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मौके पर मारपीट व लड़ाई झगडा भी किया है। इस सम्बन्ध में विपक्षीगण के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही भी विचाराधीन हैं। विपक्षीगण आपराधिक किस्म के व झगडालु प्रवृति के व्यक्ति हैं तथा समझाने बुझाने

पर भी नहीं मान रहे हैं। प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर काबिज होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होकर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण व निर्माण से अधिकतम असुविधा प्रार्थी को ही होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विपक्षीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एकतरफा सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम गादोला की खाता संख्या 272 की छायाप्रति, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 368/2016 दिनांक 28.06.2016 की छायाप्रति, मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक गादोला दिनांक 25.06.2016 की छायाप्रति, न्यायालय हाजा के कब्जेयाबी के वाद प्रकरण संख्या 206/2015 निर्णय दिनांक 17.05.2016 की छायाप्रति आदि प्रस्तुत की है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। पूर्व में विपक्षी द्वारा किये गये अतिक्रमण को इसी न्यायालय के आदेश द्वारा हटवाया गया है। वैसे भी खातेदार काश्तकार को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि का निर्बाध उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी के काश्तकारी अधिकारों का विधिक रूप से संरक्षण किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित है। खातेदारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से सर्वाधिक असुविधा खातेदार को ही होगी तथा अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना बनती है। विपक्षीगण द्वारा होने वाली किसी भी प्रकार की संभावित क्षति से रोकने के लिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विपक्षीगण मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रार्थी की खातेदारी आराजी वाके मौजा गादोला की खाता संख्या 272 की आराजी नं. 1295 रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी अथवा निर्माण नहीं करें ना किसी अन्य से करावें। प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें ना किसी अन्य से करावें। प्रार्थी को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी खातेदारी भूमि का उपयोग उपभोग करनें दें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 25.10.2017 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा